

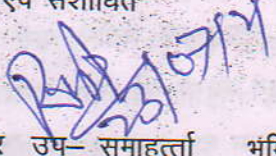
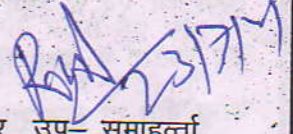
आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बार में टिप्पणी तारीख सहित
	रेभिन्यु मिस केस नं०-22/2020-21 आमिरुल इस्लाम - आवेदक बनाम हाकिम शेख - एवं अन्य - विपक्षी -: आदेश :- उपरोक्त वाद अंचल अधिकारी, पाकुड़ के अनुशंसा के आधार पर प्रारंभ की गयी है तथा दोनो पक्षकारों को इस न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया, तत्पश्चात दोनो पक्षकारों अपने-अपने मनोनित अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर अपना-अपना कारणपृच्छा एवं कागजातों को दाखिल किया। दोनो पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा दोनो पक्षकारों द्वारा दाखिल कारणपृच्छा एवं कागजातों तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, पाकुड़ के आदेश में ऐसा उल्लेखित है कि प्रश्नगत जमीन जो मौजा पृथ्वीनगर के जमाबन्दी सं०-414, दाग सं०-65, रकवा-17कटठा 11धूर, पाकुड़(मु०) थाना अन्तर्गत स्थित जमीन के संबंध में राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक के द्वारा राजस्व अभिलेख के आधार पर भूमि की जाँच करायी गयी एवं जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्लॉट नं०-65 के खतियानी रैयत नेशु शेख है एवं राजस्व विविध वाद सं०-06/2001 में प्लॉट नं०-65 का पत्रांक-98/रा०, दिनांक-17.02.2001 से जमाबन्दी नेशु शेख (हाकिम शेख एवं अन्य द्वितीय पक्षों के पिताजी) के नाम से दर्ज है एवं एहर शेख (प्रथम पक्ष आमिरुल इस्लाम के नाना) के नाम से उक्त जमीन, दाग सं०-65 की जमाबन्दी किस तरह से कायम हुई इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।	

(7)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	जबकि उक्त खतियानी रैयत नेशु शेख के पुत्र गणों के द्वारा साक्ष्य के रूप में राजस्व विविध वाद सं०-०६/२०००-०१ की सच्ची प्रतिलिपि प्रस्तुत किया गया। इसे प्रतीत होता है कि उक्त जमीन की जमाबन्दी नेशु शेख के नाम से सन् २०००-०१ से कायम होकर आज तक जारी है एवं नेशु शेख के मृत्युपरान्त उनके पुत्र गणों एवं उत्तराधिकार गण लगान देते भोग देखल करते आ रहे हैं। जबकि अमिरुल इस्लाम (प्रथम पक्ष) का कहना है कि उक्त जमीन सन् १९३७ में नेशु शेख की माताजी से प्रथम पक्ष के नाना एहर शेख ने खरीद कर अपने जीवनकाल तक भोग देखल करते रहें। चूँकि खतियानी रैयत नेशु शेख सन् १९३७ में नाबालक थे इसलिए उक्त जमीन एहर शेख द्वारा नेशु शेख के माताजी से अनिविधित केवाला द्वारा उक्त जमीन को खरीदा गया। अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा उभय पक्षों के कथन, जाँच प्रतिवेदन, कागजात एवं अभिलेख का अवलोकन कर नेशु शेख के नाम से कायम जमाबन्दी को उचित एवं सही पाया। एक भू-खण्ड का दो भिन्न-भिन्न होल्डींग का जारी रहना नियमानुसार उचित नहीं है। इसलिए अंचल अधिकारी, पाकुड़ ने अपने आदेश में मौजा-पृथ्वीनगर के नेशु शेख के नाम पर कायम होल्डींग सं०-२१०३ को यथावत कायम रखते हुए एहर शेख के नाम से सृजित होल्डींग सं०-२५९ को रद्द करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस न्यायालय में भेजा गया है। अंचल कार्यालय, पाकुड़ राजस्व विविध वाद अभिलेख सं०-०६/२०२०-२१ प्राप्त होकर, उक्त वाद मेरे न्यायालय में रेभिन्डु मिस केस नं०-२२/२०२०-२१ के द्वारा आगे की कार्रवाई प्रारंभ की गयी तथा दोनों पक्षों को	

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	नोटिस निर्गत किया गया। तत्पश्चात दोनों पक्षों के द्वारा दाखिल कागजात एवं अभिलेख का अवलोकन किया। संक्षेप में प्रथम पक्ष का दावा है कि उपर्युक्त विवादग्रस्त जमीन एहर शेख के द्वारा सन् 1937 में खतियानी रैयत नेशु शेख के माता से अनिवार्य केवाला के माध्यम से क्रय किया गया था, चूंकि नेशु शेख उस समय नाबालिक था। परन्तु खतियान से यह बात साबित नहीं होता है कि सन् 1937 में नेशु शेख नाबालिक था, बल्कि वह बालिक था। क्योंकि खतियान में नेशु शेख के नाम से उक्त जमीन दर्ज है। यदि उस समय नेशु शेख नाबालिक रहता तो खतियान में नाबालिक का जिक्र आवश्यक होता। इससे स्पष्ट होता है, कि नेशु शेख 1937 में व्यस्क था। इसलिए उक्त जमीन को नेशु शेख के माता द्वारा विक्रय किया जाना गलत है। खतियानी रैयत नेशु शेख का नाम पंजी-II में अंकित होना सही है। द्वितीय पक्ष का दावा है कि प्रश्नगत जमीन बराबर उन लोगों के दखल कब्जा में है एवं लगान भी अदा करते आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष का यह भी कहना है कि प्रश्नगत जमीन मौजा-पृथ्वीनगर में स्थित है। जो उनलोगों के निवास स्थान ग्राम-कुमरपुर से काफी दूरी में स्थित है इसलिए वे लोग प्रथम पक्ष को भाग में उक्त जमीन को चास करने के लिए दिया था एवं वे लोग बराबर उक्त पर जमीन चास आवाद कर फसल में आधा हिस्सा उन लोगों को दिया करता था। परन्तु बीते दो तीन सालों से प्रथम पक्ष द्वारा फसल की उपज होने पर भी फसल देने में आना कानी कर रहे थे। जिस कारण द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त जमीन चास करने के लिए मना किया गया था। तदोपरान्त वे लोग उक्त जमीन पर गलत कागजात के आधार पर अपना दावा प्रस्तुत करने लगे।	

9

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	दोनों पक्षों का तर्क, कागजात एवं अभिलेख तथा जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात मैं पाता हूँ कि प्रथम पक्ष का दावा गलत है तथा एहर शेख के नाम से प्रश्नगत सृजित जामाबंदी गलत है तथा द्वितीय पक्ष का दावा तथा नेशु शेख के नाम से प्रश्नगत जमीन जो मौजा-पृथ्वीनगर, जमाबन्दी नं०-414, दाग नं०-65, रकवा-17कट्ठा 11धूर नेशु शेख के नाम सृजित जमाबन्दी (होल्डींग नं०-2103) सही है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अवलोकन पश्चात मैं निम्न न्यायालय, अंचल अधिकारी, पाकुड़ के पारित आदेश दिनांक-23.12.2020 को यथावत एवं सही पाकर मौजा-पृथ्वीनगर, जमाबन्दी नं०-414, दाग नं०-65, रकवा-17कट्ठा 11धूर स्थित जमीन को नेशु शेख के नाम से कायम होल्डींग सं०-2103 को यथावत कायम रखते हुए उक्त जमीन को एहर शेख के नाम से सृजित होल्डींग सं०-259 को रद्द करते हुए पंजी-II से एहर शेख के नाम को विलोपन करने का आदेश दिया जाता है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ को आदेश की प्रति भेजे, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को अवलोकन करावें। लेखापित एवं संशोधित  भूमि सुधार उप-समाहर्ता पाकुड़।  भूमि सुधार उप-समाहर्ता पाकुड़।	

66